उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-19/2016/524/तीस-4-2016-8(24)/2010
लखनऊ: दिनांक: 06 जुलाई, 2016

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21, सन् 1997) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल रजिस्ट्रीकरण संख्या-यू0पी0-85वाई-9909 वाले यान को, जो श्री गिरिराज महाराज नि:शुल्क जल सेवा समिति, गोवर्धन, मथुरा के स्वामित्व में है और पूर्णत: परोपकारी कार्यों के लिए लगा हुआ है, उक्त अधिनियम की क्रमश: धारा-4 ओर 5 के अधीन कर और अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त छूट इस अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से तीन वर्ष तक के लिए या उस समय तक के लिए जब तक यान श्री गिरिराज महाराज नि:शुल्क जल सेवा समिति, गोवर्धन, मथुरा के स्वामित्व में रहता है और उसका उपयोग केवल ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-19/2016/524(1)/तीस-4-2016-8(24)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 06 जुलाई, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-19/2016/524(2)/तीस-4-2016-8(24)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- अध्यक्ष, पं0 रामप्रकाश (गंगाजल वाले बाबा) श्री गिरिराज महाराज नि:शुल्क जल सेवा समिति, निकट दानघाटी मंदिर, गोवर्धन धाम, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.19/2016/524/XXX-4-2016-8(24) /2010 dated July 06, 2016

NOTIFICATION

Order

No.19/2016 /524/XXX-4-2016-8(24)/2010,
Lucknow: Dated July 06, 2016

In exercise of the powers under section-3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) the Governor is pleased to exempt, the Vehicle with registration number U.P.85Y-9909, owned by Shri Giriraj Maharaj Nisulk Jal Sewa Samiti, Goverdhan, Mathura, engaged solely for philanthropic works, from the payment of tax and additional tax under sections-4 and 5 respectively of the said Act.

2. The above exemption will hold good till three year from the date of issuance of this notification or till such time the vehicle remain in the ownership of Shri Giriraj Maharaj Nisulk Jal Sewa Samiti, Goverdhan, Mathura and is used only for the purpose mentioned above, whichever is earlier.

By Order,

(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।